

संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापुर मंडल



मासिक बुलेटिन नं - 04, अगस्त - 2018.

“संरक्षा नियमों का पालन आप पर निर्भर है”

भारतीय रेल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए हैं :-

1. दिनांक 25.08.2018 को जब गाडी (Dn. BCNHL Empty) Digaru (DGU) - Panbari (PNB) स्टेशनों के बीच चल रही थी तब 22 वैगन पटरी से उतर गए जिसमें से 5 वैगन किमी 38/8-7 पर उलट गए जिसकी वजह से डाउन और अप लाइन ब्लॉक हुई थी।

कारण : इंजीनियरिंग विभाग द्वारा लागू किया गया 30 किमी प्रतीघंटा एस/आर की सूचना लोको पायलट को नहीं दी गयी ।

जिम्मेवारी : स्टेशन प्रबंधक

नियम का उल्लंघन : साधारण नियम - 4.09

साधारण नियम - 4.09, स. नियम - 4.09-1 के अनुसार जब गति प्रतिबंध या रेलपथ की मरम्मत, ऊपरी उपस्कर (ओएचई), सिग्नलिंग और अंतर्पाशन उपस्कर आदि को हुई क्षतियों के कारण या अन्य किसी कारण से जिससे सुरक्षा को खतरा हो, लोको पायलट को सतर्क करने के लिए विशेष अनुदेश देना आवश्यक हो तो, सतर्कता आदेश गाडी के लोको पायलट और गार्ड को ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर द्वारा दिए जाए ।

2. दिनांक 27.08.18, को गाडी इंजन 16712/ डब्ल्यूडीएम 3-ए / जी डी लोको के आर-3 बेंजो बोल्ट से लिकेजे होने की वजह से गाडी नं 15009 बुरहवाल स्टेशन के अप लाइन (अप ग्रेडिएंट) पर खड़ी हुई । 5.30 बजे लोको पायलट द्वारा लोको फेल होने तथा शट डाउन करने के बारे में बताया गया। 6.02 बजे गाडी बुरहवाल स्टेशन से चौका घाट स्टेशन की ओर होम सिग्नल तक 120 मीटर रोल डाउन हुई।

कारण : कर्मी तथा गार्ड द्वारा उचित रूप से सुरक्षा उपाय न किए जाने की वजह से ।

जिम्मेवारी : लोको पायलट, स. लोको पायलट और गार्ड ।

नियम का उल्लंघन : सा.नि. 4.55, स.नि - 6.04-2

सा.नि. 4.55 के अनुसार गाडी रोकते समय लोको पायलट लाईन के उतार-चढ़ाव, मौसम की स्थिति, पटरियों की दशा, ब्रेक शक्ति तथा गाडी के लंबाई और भार का विशेष ध्यान रखते हुए यह निश्चित करेगा कि पावर कहां बंद की जाए।

स.नि. 6.04 - 2-4 के अनुसार जब गाडी शुरू न करनी हो तब लोको पायलट द्वारा निम्नलिखित बाते की जाए ।

- क) लोको के हैण्ड ब्रेक लगाए जाएं ।
- ख) यदि लोको के पीरेड 4 चक्के वाले 10 वैगन हो अथवा 8 व्हिल (चक्के) वाले 5 वैगन हो, तो स. लोको पायलट को हैड ब्रेक पिन डालने तथा लोको के चक्के के नीचे वेजेस (पच्चर) लगाने के निर्देश दिए जाएं।
- ग) 3 अल्पकालावधि के लिए सीटी बजाकर ब्रेक लगाने हेतु तथा 4 अल्पकालावधि के लिए सीटी बजाकर पिछले भाग की सुरक्षा के लिए गार्ड का ध्यान आकर्षित किया जाए।
- घ) गाडी के सामने की सुरक्षा के लिए इकहरी लाइन सेक्शन में स.लोको पायलट को निर्देश दिए जाए।

स.नि. 6.04 - 2.5 के अनुसार यदि 4 चक्कों का वैगन हो तो 10 वैगन का तथा 8 चक्कों का वैगन हो तो 5 वैगन का हैण्ड ब्रेक गाडी का गार्ड दवारा लगाया जायेगा एवंम ब्रेक वैन का हैण्ड ब्रेक लगाएगा। यदि यात्री गाडी हो तो वह ब्रेक वैन के नजदीक के दो कोच को वेजेस (पच्चर) लगाएगा । उसके बाद वह गाडी की सुरक्षा करेगा।

विशेष आदेश

- 1) पैनल बटन पर आधा मार्ग सेट या पाँइंट की अपूर्व सेटिंग से बचने के लिए सिग्नल क्लियरिंग या पाँइंट के व्यक्तिगत ऑपरेशन के लिए कम से कम 3 सेकंद के लिए बटन दबाया जाना चाहिए।
- 2) छह माह में कम से कम एक बार क्रैंक हैण्डल जांच के दौरान यार्ड के हर एक प्वाइंट को जांच की जाएं ।
- 3) जब स्टे.प्रबंधक कार्यालय में फायर अलार्म बजता है, तब सर्वप्रथम यह देखा जाए कि फायर अलार्म इंडिकेशन कहां से दिखाई दे रहा है, पहले आग बुझाने की कार्यवाही की जाए। आग बुझाने के बाद फायर अलार्म सिस्टम को रिसेट किया जाए तथा आन इयूटी ईएसएम को सूचित किया जाए ।
- 4) कोई भी खराबी जैसे कि ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, प्वाइंट अथवा सिग्नल आदि को अटेंड करने से पहले सिग्नल व दूरसंचार विभाग के मॅटेनर अथवा पर्यवेक्षक द्वारा आन इयूटी स्टे.प्र. को डिसकनेक्शन का मेमो दिया जाए ।
- 5) गाडी का पूर्ण रूप से आगमन होने के पश्चात गाडी का पिछला छोर का पाँइंट सेटिंग 3 मिनट के भितर खाली लाईन की ओर किया जाये ।
- 6) प्वाइंट अथवा ट्रैक सर्किट में खराबी होने पर सिग्नल व दूरसंचार विभाग के साथ - साथ इंजीनियरी और टीआरडी विभाग के पर्यवेक्षक को भी स्टेशन प्रबंधक द्वारा सूचित किया जाएं ।

(सुरेश कुमार एन.टी)

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सोलापुर